28/6/22 पत्रावली पेश हुई। ~~वादी~~ प्रार्थी वकील उप०। पत्रावली बाबत जवाब हेतु आविन्दा दिनांक 13/7/22 को पेश हो।

13/7/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। पत्रावली बाबत जवाब हेतु अप्रार्थीगण में अन्तिम अवसर दिया जाकर आविन्दा दिनांक 26/07/22 को पेश हो।

[illegible]/7/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप०। विप्रार्थीगण के समन तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थीगण वकील ने उक्त आवेदन पर बहस सुनने का निवेदन किया। बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न [illegible] अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी[illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः मेरलमनल्ली आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण		विप्रार्थीगण
1. मेघाराम 2. तुलछाराम 3. बंशीलाल 4. छोगाराम 5. दामोदर 6. मुकेश पि. गिरधारी 7. सुन्दरदेवी पत्नी गिरधारी 8. शंकर पुत्र पथू (फौत) के वारिश 8/1 विजयकुमार 8/2 राजेदर कुमार पि. शंकर 8/3 धनेसरी पत्नी शंकर 9. लखू पुत्र पथू 10. मोहन 11. चेना 12. खेता 13. हुकमा पि. किशना 14. शंकरलाल 15. बाबुलाल 16. रिखबदास 17. नरसीराम 18. चतराराम पि. दलाराम 19. ओमप्रकाश 20. विरधाराम 21. गणपतलाल 22. मांगीलाल पि. शंकरलाल 23. हस्तुदेवी पत्नी शंकरलाल 24. चमनलाल 25. चुनाराम पि. दुर्गाराम 26. गोविन्द 27. मूलचंद 28. रविकुमार पि. भंवरलाल 29.भगवतीदेवी पत्नी भंवरलाल 30. केवलाराम पुत्र प्रभुराम 31. बंशीलाल 32. वेरसीलाल पि. मोती 33. बाबु 34. केवा 35. काला पि. भेरा 36. हरिया पि. वाला जातियान जटिया निवासीगण बाखासर हाल शिवनाथपुरा सांचौर, तहसील सांचौर 37. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर	**बनाम**	1. लुणाराम पुत्र भोमाराम 2. केसा पुत्र रामसी 3. हंसा 4. वना 5. गेना पि. सवाई 6. वालाराम 7. प्रहलाद पि. मोहन 8. टीलाराम 9. कानाराम 10. दिलीप पि. जवाना 11. भंवरा 12. गोरधन पि. गेना 13. गोकला पुत्र प्रागा जातियान मेगवाल निवासी बाखासर 14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 179/2021 दिनांक : 26.07.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 348 रकबा 63.00 बीघा किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस [illegible] से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
दिनांक 27/07/2022

क्रमांक/भू.अ./2022/ 975-80

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण मेघाराम पुत्र गिरधारी वगैरा।
3. विप्रार्थीगण लुणाराम पुत्र भोमाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 179/2021 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

मेघाराम वगैरा बनाम लूणाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – करनाराम

निर्णय दिनांक – 26.07.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 348 रकबा 63.00 बीघा किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्राथीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाखासर के मौजा बाखासर के खेत खसरा संख्या 348 रकबा 63.00 बीघा किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:23 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा